

राजघाट बांध के बारे में प्रगति

5541. श्री लक्ष्मीनारायण नायक :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की सीमा पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये जा रहे राजघाट बांध के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है और इस बांध के निर्माण में क्या प्रगति हुई है और इस बांध के निर्माण में त्रिलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) इस बांध के उत्तर प्रदेश के ललितपुर तथा झांसी जिलों में तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, गुना, शिवपुरी तथा दतिया जिलों में पृथक्-पृथक् कितने-कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ;

(ग) उक्त जिलों में कितनी लम्बी नहरों के लिए सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) इसी प्रकार इनमें से प्रत्येक जिले को, पृथक्-पृथक् कितनी-कितनी बिजली सप्लाई करने का निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ). अभी राजघाट बांध पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

राजघाट बांध परियोजना में मूलतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए बेतवा नदी पर राजघाट में एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। किन्तु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने कृषि और सिंचाई मंत्री के साथ 17-8-76 को हुई बैठक में यह फैसला किया कि बिद्युत् उत्पादन भी राजघाट बांध परियोजना का एक अभिन्न अंग होना चाहिये और राजघाट बांध पर बिजली घर के निर्माण को शामिल करने के लिए परियोजना रिपोर्ट संशोधित की जानी चाहिये, परियोजना की लागत एवं उसके लाभों को दोनों राज्य सरकारों द्वारा बराबर भाग में बांटा जाएगा। अभी संशोधित रिपोर्ट

को तयार किया जाना है तथा राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया जाना है।

इस परियोजना रिपोर्ट के तैयार किये जाने के पश्चात् ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सिंचित होने वाले क्षेत्र तथा उत्पादित की जाने वाली बिजली की मात्रा एवं इन दोनों राज्यों के विभिन्न जिलों को सप्लाई की जाने वाली बिजली की मात्रा का व्यौरा उपलब्ध हो सकेगा।

नहरों के विस्तृत सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। सर्वेक्षण-कार्य पूरा होने पर ही नहरों की लम्बाई का पता लग सकेगा।

ए० एन० एम० प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं के वेतनमान

5542. श्री राम लाल राही : क्या

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब तक नियुक्ति अधिकारी निदेशक था तब तक ए० एन० एम० प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं के वेतनमान समान थे परन्तु जब से जिला अधिकारियों को नियुक्ति अधिकारी बना दिया गया है तब से जूनियर हाई स्कूलों और हाई स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान अलग-अलग हो गये हैं जब कि काम और अहंताएँ एक जैसी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समान काम और समान अहंताओं के आधार पर समान वेतन-मान कब से दिए जाने लगेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख). स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ए० एन० एम० की नियुक्तियाँ राज्य सरकारों द्वारा, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए, उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन की जाती हैं।

उनके वेतनमान एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न होते हैं। प्रशिक्षण लेते समय प्रशिक्षार्थी

केवल वजीफा पाते हैं और उनके लिए वेतन के कोई काल-मान नहीं हैं।

जूनियर हाई स्कूलों/हाई स्कूलों के अध्यापक और ए० एन० एम०, स्टाफ की दो भिन्न श्रेणियों में आते हैं जो दो भिन्न-भिन्न प्रशासकीय विभागों से सम्बन्धित हैं। अतः ए० एन० एम० और अध्यापकों के भर्ती नियम, वेतनमान और सेवा शर्तें भी भिन्न-भिन्न हैं।

दिल्ली और नई दिल्ली तक के विकास पर व्यय

5543. डा० राम जी सिंह : क्या निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली एवं वृहत् दिल्ली के विकास पर जो व्यय किया है क्या वह देश की निर्धनता को ध्यान में रखते हुये अधिक नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यय में कमी करके इस प्रकार बचाई गई राशि को 5 लाख गांवों में कच्ची सड़क को बनाने पर व्यय करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बल्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) गांवों में कच्ची सड़कों के निर्माण की व्यवस्था उनसे सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के द्वारा की जानी है।

Yoga Assessment Committee

5544. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1837 on the 27th June, 1977 regarding Yoga Assessment Committee and state:

(a) whether the main Committee has met in compliance with the direc-

tive of the S.N.I.P.E.S. Board of Governors;

(b) whether the recommendations have been reviewed; and

(c) if so, with what result?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) No, Sir. It has not been possible for the Committee to meet because the office of its Chairman has fallen vacant and a new Chairman has yet to be appointed by the Board of Governors of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports.

(b) and (c). Do not arise.

Re-Employment of University Teachers after age of Superannuation

5545. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the University Grants Commission had issued any directive relating to the appointment of teachers re-employed after attaining the age of superannuation;

(b) if so, whether the Delhi University has violated the directive and heads of many departments are re-appointed after attaining the age of superannuation; and

(c) if so, the names of such persons?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) According to the information furnished by the University Grants Commission, the Commission advised the Central Universities, including the University of Delhi in May 1975 that though the age of superannuation of teachers shall be 60 years, it would be open to a University, if it so desires, to give re-employment to a talented teacher for